To

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–77/2016– 4237 /कृ0,पटना, दिनांक 01-11-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित।

द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 6542.22 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार रूपये) {केन्द्रांश 2990.556 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख पचपन हजार छः सौ) रूपये, राज्यांश 1993.704 लाख (उन्नीस करोड़ तीरानवे लाख सत्तर हजार चार सौ)} रूपये एवं राज्य योजना 1557.96 लाख (पन्द्रह करोड़ संतावन लाख छियानवे हजार) रूपये के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 6542.22 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार रूपये) {केन्द्रांश 2990.556 लाख (उनतीस करोड़ नब्बे लाख पचपन हजार छः सौ) रूपये, राज्यांश 1993.704 लाख (उन्नीस करोड़ तीरानवे लाख सत्तर हजार चार सौ)} रूपये एवं राज्य योजना 1557.96 लाख (पन्द्रह करोड़ संतावन लाख छियानवे हज़ार) रूपये के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2017–RKVY दिनांक–15.05.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 111.62 करोड़ रू० (सामान्य 52.74 करोड़, अनुसूचित जाति 55.40 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 3.48 करोड़) उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में विभागीय पत्र संख्या–2908 दिनांक–12.07.2017 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश मद में कुल 52.37 करोड़ रू० (सामान्य 24.74 करोड़, अनुसूचित जाति 26.00 करोड़ एवं अनुसूचित जनजाति 1.63 करोड़) कर्णांकित किया गया है।

3. भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2017–RKVY/1,2,3, दिनांक 20.09.2017 के द्वारा बिहार राज्य के लिए केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त के रूप में सामान्य श्रेणी के लिए 26.37 करोड़ रूपये, अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 27.70 करोड़ रूपये तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 1.74 करोड़ रूपये, कुल 55.81 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया। इसके विरूद्ध कृषि विभाग के पत्रांक– रा0कृ0वि0यो0को0–02/2017– 6353 दिनांक 16.10.2017 के द्वारा कृषि विभाग को केन्द्रांश मद में सामान्य श्रेणी के लिए 12.37 करोड़ रूपये, अनुसूचित जाति के लिए 13.00 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 0.815 करोड़ रूपये, कुल 26.185 करोड़ रूपये का उपावंटन किया गया है। तत्काल उक्त राशि के विरूद्ध समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा। अवशेष राशि भारत सरकार से विमुक्ति के उपरांत उसके समानुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीय कृषि विक़ास योजना (सामान्य) अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
					रा०कृ०वि० योजना	राज्य योजना	कुल
1	श्री विधि से धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 3000/- प्रति एकड.	एकड़	63920.5	1917.615		1917.615
2	पैडी ट्रांसप्लान्टर मशीन से धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 3000/- प्रति एकड़	एकड़	22232.5	666.975		666.975
3	सुगंधित धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 3000/- प्रति एकड़	एकड़	17440	523.20		523.20

4	संकर मक्का के साथ दलहन (मूँग / उड़द / अरहर) अन्तर्वर्ती प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू०3000/- प्रति एकड	एकड़	7315	219.45		219.45
5	संकर धान प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100 / कि0	क्वीं०	22000	1100.00	1100.00	2200.00
5	अधिक उपजशील धान प्रभेदों (HYV) का बीज वितरण कार्यक्रम	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 15 / कि0	क्वीं०	11472	114.72	57.36	172.08
6	जलवायु परिवर्तन की स्थिति से समावेश के लिए क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन की योजना						
i	मडुआ प्रत्यक्षण कार्यक्रम	रू० 855/- प्रति एकड	एकड़	6000	51.30		51.30
ii	संकर मक्का प्रभेदों का बीज वितरण कार्यक्रम @ Rs.100/Kg. for 8 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100 / कि0	क्वीं०	7500	375.00	375.00	750.00
iii	अरहर बीज वितरण कार्यक्रम @ Rs.70/Kg. for 8 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 70 / कि0	क्वीं०	480	12.00	21.60	33.60
iv	संकर बाजरा बीज वितरण कार्यक्रम @ Rs.100/Kg. for 2 kg/Acre	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 100 / कि0	क्वीं०	80	4.00	4.00	8.00
	कुल				**4984.26**	**1557.96**	6542.22

5. **फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन :–**

(1) प्रत्यक्षण कार्यक्रमों के लिए कृषि निदेशालय, बिहार के ज्ञापांक–2172 दिनांक 25.05.2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए प्रत्यक्षण मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के अनुसार उपादानों का वितरण किया जायेगा। जिस मॉडल में फसल, सुक्ष्म पोषक तत्व / खरपतवारनाशी आदि के संदर्भ में किसी कृषि रसायन के नाम का उल्लेख नहीं है ऐसे मॉडल के लिए स्थानीय स्थिति के अनुरूप सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण की सलाह से आवश्यक रसायन जिला कृषि पदाधिकारी लाभान्वित कृषकों को उपलब्ध करायेंगे।

(2) प्रत्यक्षण के लिये क्लस्टर का न्यूनतम रकवा यथासंभव 20 एकड़ का होगा। प्रत्यक्षण स्थल पर पर्याप्त सिंचाई सुविधा हो एवं जहाँ तक संभव हो यह सड़क के किनारे अवस्थित हो। चयनित कलस्टर के सभी इच्छुक कृषकों को कम से कम 25 डिसीमल तथा अधिक–से–अधिक एक एकड़ क्षेत्र के लिए प्रत्यक्षण का लाभ देय होगा। जिन कृषकों का एक एकड़ से अधिक जमीन कलस्टर में आता हो उनको अन्य कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जायेगा। प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत उपादानों का वितरण कार्यक्रम बामेती / आत्मा द्वारा आयोजित प्रखंड स्तरीय आयोजित शिविर में किया जायेगा। शिविर में प्रत्यक्षण मॉडल एवं प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार गुणवत्तायुक्त उपादानों की व्यवस्था की पूर्ण जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी / संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत धान का अधिकतम 10 वर्ष तक के आयु वाले प्रभेद तथा दलहन का अधिकतम 15 वर्ष के आयु वाले प्रभेद के प्रमाणित बीज का उपयोग किया जायेगा।

(3) प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान केवल सरकारी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये बीज पर देय होगा तथा संकर प्रभेदों के लिये प्रशासी विभाग द्वारा चिन्हित एवं अनुशंसित प्रभेदों के बीज के क्रय पर अनुदान देय होगा। प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वितरण किये जाने वाले उपादानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जवाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी / संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी की होगी। वितरित किये जाने वाले प्रत्येक उपादानों का पर्याप्त मात्रा में नमूना संग्रह कर जाँच विश्लेषण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। अमानक पाये जाने वाले उपादान की बिक्री के लिए दोषी विक्रेताओं / आपूर्तिकत्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(4) क्षेत्र दिवस का आयोजन, प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण एवं वैज्ञानिक / पदाधिकारी भ्रमण मद में कुल 320.00 (तीन सौ बीस) रूपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित राशि का व्यय प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार संबंधित कार्यमद के लिये सुनिश्चित किया जायेगा। क्षेत्र दिवस के अवसर पर फसल जाँच कटनी का भी आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल के साथ एक कन्ट्रोल प्लॉट चिन्हित किया जायेगा एवं प्रत्यक्षण के लिए संबंद्ध कर्मी के द्वारा दोनों प्लॉटों के लिए शष्य क्रियाओं से संबंधित व्यौरा पंजी में संधारित किया जायेगा।

(5) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रत्येक समूह प्रत्यक्षण के साथ–साथ कन्ट्रोल प्लॉट का भी फसल जाँच कटनी प्रयोग आयोजित किया जायेगा तथा इसका अभिलेख संधारित किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा फसल कटनी का प्रतिवेदन कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। सर्वोत्तम समूह प्रत्यक्षण के लिये सफलता की कहानी प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर क्रमशः प्रखंड कृषि पदाधिकारी / कृषि समन्वयक, जिला कृषि पदाधिकारी / परियोजना निदेशक, आत्मा एवं बामेती पटना के स्तर से तैयार कर विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।

(6) प्रत्यक्षण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक प्रत्यक्षण स्थल के लिए एक कृषि समन्वयक को संबद्ध किया जायेगा। प्रत्यक्षण स्थल पर संबंधित कृषि विशेषज्ञ को स्थल

भ्रमण एवं पर्यवेक्षण कराने तथा उनके देख–रेख में प्रत्यक्षण कार्य पूर्ण कराने की पूरी जबाबदेही संबंधित कृषि समन्वयक/संबद्ध कर्मी की होगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अपने प्रखंड में उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। कृषि विश्वविद्यालय/कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों की तकनीकी देख–रेख में प्रत्यक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये सतत् मानिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों द्वारा सघन पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु दायित्व का निर्धारण करेंगे।

(7) प्रत्यक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रशासी विभाग द्वारा संबंधित प्रत्यक्षण के लिये निर्धारित प्रत्यक्षण मॉडल के अनुसार किया जायेगा। इस मद में अनुदान सहायता राशि का भुगतान उपादानों के वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्धारित ईकाई लागत के अंतर्गत किया जायेगा। वास्तविक मूल्य मॉडल में विनिर्दिष्ट मूल्य से अधिक होने की स्थिति में शेष राशि का वहन कृषक द्वारा स्वयं किया जायेगा। प्रत्यक्षण मॉडल अंतर्गत उपादानों के वास्तविक मूल्य का अर्न्तसमायोजन आवश्यकतानुसार प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सहायता राशि के अंतर्गत किया जा सकेगा।

(8) प्रत्यक्षण कार्यक्रम अंतर्गत यंत्र/मशीन के उपयोग से संबंधित भाड़े के देय राशि का भुगतान लाभान्वित को अथवा लाभान्वित की सहमति पत्र के आलोक में सत्यापित रकवा के आधार पर यंत्रधारक–सह–सेवादात्री को डी0बी0टी0 द्वारा किया जायेगा। सत्यापन प्रतिवेदन में संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, प्रत्यक्षण स्थल के चौहद्दी को एक कृषक एवं लाभान्वित का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

6. **अनुदानित दर पर बीज एवं अन्य उपादानों का वितरण :–**

(i) प्रत्यक्षण एवं अनुदानित दर पर बीज वितरण कार्यक्रम अंतर्गत धान का अधिकतम 10 वर्ष तक के आयु वाले प्रभेद तथा दलहन का अधिकतम 15 वर्ष के आयु वाले प्रभेद के प्रमाणित बीज का उपयोग किया जायेगा। वर्ष 2017–18 के लिए विभाग द्वारा चिन्हित/अनुशंसित प्रभेदों का वितरण किया जायेगा। प्रमाणित बीज के क्रय पर अनुदान केवल सरकारी कंपनियों द्वारा आपूर्ति किये गये बीज पर देय होगा तथा संकर प्रभेदों के लिये प्रशासी विभाग द्वारा चिन्हित एवं अनुशंसित प्रभेदों के बीज के क्रय पर अनुदान देय होगा। अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज/संकर बीज के क्रय पर एक कृषक को अधिकतम पाँच एकड़ के लिये अनुदान अनुमान्य होगा। अनुदानित दर पर बीज का वितरण फोटोयुक्त पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र/अन्य) अथवा त्रिस्तरीय पंचायत समिति के सदस्य के पहचान के आधार पर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

(ii) अनुदानित दर पर बीज के वितरण में इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जबाबदेही जिला कृषि पदाधिकारी की होगी। वितरित किये जाने वाले बीज का पर्याप्त मात्रा में नमूना संग्रह कर जाँच विश्लेषण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. **अन्य मुख्य अनुदेश :**

(i) उपादान विक्रेताओं द्वारा निर्गत कैशमेमों पर फसल एवं उपादानों का नाम अंकित किया जायेगा।

(ii) लाभान्वितों की सूची संधारित की जाएगी एवं इसकी साफ्ट प्रति कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के लिये पूर्व में निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश (वर्ष 2014–15) उपर्युक्त निदेश के अनुसार संशोधित एवं प्रभावी माना जायेगा तथा आवश्यकतानुार प्रशासी विभाग द्वारा अतिरिक्त संशोधन/समावेश किया जा सकेगा।

8. अधिक उपजशील प्रभेद (प्रमाणित) एवं संकर प्रभेद का बीज वितरण कार्यक्रम में अनुदान टॉप–अप करने के लिए राज्य योजना से 1557.96 लाख रू० का व्यय किया जायेगा।

9. उक्त योजना से लाभान्वित कृषकों, जिनका बैंक में खाता खुल चुका है, को अनुदान की राशि/लाभ DBT (Direct Benefit Transfer) Programme के तहत सीधे बैंक खाता में अंतरित किया जायेगा। जिन कृषकों का अभी तक बैंक में खाता नहीं खुला है, उनका बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य है। इन कृषकों का बैंक खाता खुल जाने के उपरांत इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत विभिन्न मदों में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 से 10 तक संलग्न है। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि